

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

सुनिता कुमारी पत्नी दुर्गालाल मीणा निवासी कुराडिया

बनाम

रामप्रसाद पिता देबी मीणा निवासी कुराडिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 169/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
07.03.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 791 रकबा 00.04 बीघा, आ.न. 795 रकबा 02.08 बीघा, आ.न. 1727 रकबा 02.00 बीघा, आ.न. 1728 रकबा 03.15 बीघा, आ.न. 1729 रकबा 02.06 बीघा, आ.न. 1731 रकबा 04.05 बीघा, आ.न. 794 रकबा 00.03 बीघा, आ.न. 759 रकबा 00.03 बीघा, आ.न. 1715 रकबा 05.08 बीघा कुल 09 रकबा 20.12 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 791 रकबा 00.04 बीघा, आ.न. 795 रकबा 02.08 बीघा, आ.न. 1727 रकबा 02.00 बीघा, आ.न. 1728 रकबा 03.15 बीघा, आ.न. 1729 रकबा 02.06 बीघा, आ.न. 1731 रकबा 04.05 बीघा, आ.न. 794 रकबा 00.03 बीघा, आ.न. 759 रकबा 00.03 बीघा, आ.न. 1715 रकबा 05.08 बीघा कुल 09 रकबा 20.12 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p>	